तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख कार्यवाही जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण सं. 121/19 इन्द्राज राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मेजा बनाम जिन्दल शॉ लिमिटेड प्रतिनिधि शोभालाल पिता लादू माली निवासी मालीखेड़ा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 निर्णय :-	
8/7/19	संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मेजा ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जिन्दल शॉ लिमिटेड प्रतिनिधि श्री शोभालाल पि. लादू माली निवासी मालीखेड़ा तह. माण्डल ने ग्राम मेजा की आ.(ख.नं.) (बिलानाम) 2596 किस्म गै.मु. नदी में 0.08 (रकबा यानि 36' × 300') भूमि ऊँचाई 5 फीट से 18 फीट पर खनन की ओवर बर्डन मिट्टी डालकर कच्चा रास्ता अवैध रूप से बनाया है। यह अतिक्रमण सम्वत 2076 में किया है। उक्त आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत जारी किया गया। जो विधिवत तामील करवाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ने दि. 5.7.19 को प्रत्युत्तर पेश किया तथा [illegible] जवाब पटवारी हल्का ने पेश की, जो शामिल पत्रावली है।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

8.7.19
जारी

अतिक्रमी की ओर से उनके
अधिवक्तागण श्री रामनिवास गुप्ता
व देवी लाल रावा निगर दिनांक
8.07.19 को उपस्थित हुए तथा
वकालतनामा व जवाब पेश
किया। जो शामिल पत्रावली
किया गया। उपस्थित ने हल्का
रिपोर्ट पटवारी हल्का स्वीकार
किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन
किया तथा प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं
प्रत्युत्तर की जांच पटवारी हल्का
का अध्ययन किया। अतिक्रमी ने
मौजा मेजा के आ.न. (बिलानाम)
2596 किस्म गैर नदी पर
0.08 हिस्सा पर खनन की
ओवर बर्डन मिट्टी डालकर, 36' x
300' जिसकी ऊंचाई 5' से 18'
है का अवैध रूप से कच्चा
रास्ता निर्माण किया है जिससे
वर्षा का पानी बाधित होता है
तथा अन्य कोई नुकसान होना
सम्भव है। अतः उक्त आराजी
से अतिक्रमी को ग्राम मेजा स्थित
बिलानाम आ.न. 2596 किस्म
गैर नदी अतिक्रमित रकबा 0.08
से तुरन्त बेदखल किया जाता
है तथा अतिक्रमी को स्वयं के संसाधन
से अवैध बनाये गए कच्चे रास्ते
की मिट्टी को हटाने के आदेश
दिये जाते हैं तथा साथ ही
वार्षिक लगान 3.35 रुपये की

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.7.19 जारी	50 गुणा राशि 168.00 रूपये अधिरोपित कर वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। पालनार्थ पटवारी हल्का एवं भोग कायमी हेतु तहसील लेखाकार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] 8/7/19 तहसीलदार मांडल **तहसीलदार माण्डल** **जिला भीलवाड़ा**	

Scanned by CamScanner